प्रदेश में बनेंगे 'स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन'

कैबिनेट के फैसले

- नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फार मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी
- गुजरात, कर्नाटक व राजस्थान के बाद बड़ा निवेश क्षेत्र विकसित करने वाला चौथा राज्य बनेगा यूपी

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए योगी सरकार देश-दुनिया के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 'स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन' (एसआइआर) बनाने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को इससे जुड़े विधेयक के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अब प्रदेश में बड़े-बड़े निवेश क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था अभी तक तीन राज्यों गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश अब चौथा राज्य बन जाएगा।

लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए इसमें से 11 प्रस्ताव पास हो गए जबकि रायबरेली नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार का प्रस्ताव लौटा दिया गया। इसे और संशोधनों के साथ फिर से रखने के लिए कहा गया है। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा बड़े-बड़े निवेश क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रस्तावित जिस विधेयक के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है उसे नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फार मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) नाम दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आर्थिक विकास को गति मिलेगी, जबकि जन सामान्य को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर ने बताया कि प्रदेश में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। एसआइआर में क्लस्टरों का विकास होगा, जो शक्तियां राज्य सरकार या बाकी विभागों में निहित होती हैं, उन्हें स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसा करने से मास्टर प्लान में परिवर्तन व अनापत्तियां लेने के लिए मुख्यालय नहीं आना होगा।

लोक भवन में कैबिनेट बैठक को संबोधित करते सीएम योगी आदित्यनाथ • सूचना विभाग

प्रदेश के चारों हिस्सों में बनाए जाएंगे 'एसआइआर'

प्रमुख सचिव ने बताया कि यह कानून बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन को कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। गुजरात के एक्ट के अनुसार 10 हजार हेक्टेयर से ऊपर का इन्वेस्टमेंट क्षेत्र हो सकता है। हमने इस कानून में निवेश के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन जैसे हमने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी की स्थापना की है, जिसके लिए पांच हजार हेक्टेयर का क्षेत्रफल रखा है उसी तरह एसआइआर में भी बड़ा क्षेत्र रखा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में कम से कम चार ऐसे एसआइआर बनाए जाएंगे, जो प्रदेश के चारों भौगोलिक क्षेत्रों में होंगे। हमारे पास लैंड बैंक की उपलब्धता काफी है, लेकिन यदि आवंटन के लिए लैंड बैंक की बात करें तो करीब 20 हजार एकड़ के आसपास ही उपलब्ध है।

एमएसएमई के लिए लखनऊ व वाराणसी में मल्टीपरपज हाल

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: प्रदेश में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आइटीपीओ) एवं एमएसएमई विभाग के मध्य जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इसके तहत लखनऊ व वाराणसी में मल्टीपरपज हाल या कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। यह हाल राजधानी दिल्ली में बने भारत मंडपम की तर्ज पर होंगे।

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि लखनऊ और वाराणसी में यह बनेंगे। कैबिनेट ने समझौता ज्ञापन के मसौदे को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यहां पर एमएसएमई से जुड़े लोग अपने-अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके माध्यम से न सिर्फ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि एमएसएमई से जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से प्रदेश में एमएसएमई के उत्पादन को बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। दिल्ली में निर्मित भारत मंडपम में आइटीपीओ द्वारा उत्कृष्ट कोटि की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की गई हैं। यहां पर निरंतर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों का आयोजन होता रहता है। अब उप्र में भी ऐसे आयोजन हो सकेंगे। इसके लिए स्पेशल परपज व्हीकल भी बनाया जा सकता है।